

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर.

1/अपील संख्या -- 1023/2013/भीलवाड़ा.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त- 'बी', भीलवाड़ा. ....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स राजश्री एजेन्सी, भीलवाड़ा. ....प्रत्यर्थी.

2. क्रॉस ऑब्जेक्शन संख्या -- 1588/2013/भीलवाड़ा.

मैसर्स राजश्री एजेन्सी, भीलवाड़ा. ....प्रार्थी.

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त- 'बी', भीलवाड़ा. ....अप्रार्थी.

एकलपीठ

श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री डी. पी. ओझा,

उप-राजकीय अभिभाषक

.....विभाग की ओर से.

श्री वी. सी. सोमानी, अभिभाषक

.....व्यवहारी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 26/02/2014

निर्णय

यह अपील व क्रॉस ऑब्जेक्शन उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के अपील संख्या 12/वैट/12-13 में पारित किये गये आदेश दिनांक 9.01.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत किये गये हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, भीलवाड़ा (जिसे आगे 'कर निर्धारण अधिकारी' कहा जायेगा) के वेट अधिनियम की धारा 33 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 24.11.2011 सपटित आदेश दिनांक 30.11.2010 अन्तर्गत धारा 24 वेट अधिनियम के विरुद्ध प्रस्तुत अपील को स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किया है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी/प्रत्याक्षेप व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2008-09 के लिये व्यवहारी द्वारा प्रस्तुत किये गये बिक्री विवरण प्रपत्रों के अनुसार व्यवहारी द्वारा आलौच्य अवधि में दर्शायी गयी खरीद पर आगत कर का मुजरा क्लेम किया गया है। प्रत्यर्थी को उसके विक्रेता व्यवहारी (मैसर्स ग्रासिम इण्डस्ट्रीज) से विक्रय उपरान्त ट्रेड डिस्काउण्ट के रूपये 32,76,296/- प्राप्त हुए हैं। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा व्यवहारी की आलौच्य अवधि के लिये वेट अधिनियम की धारा 24 के तहत आदेश दिनांक 30.11.2010 पारित करते हुए कर निर्धारण आदेश में उक्त डिस्काउण्ट राशि को

लगातार.....2

—: 2 :- अपील संख्या-1023 / 13 व क्रॉस अपील संख्या-1588 / 13 / भीलवाड़ा.  
संख्या ५११ भा.७, ज.प.११.

---

---

---

---

---

—: 3 :- अपील संख्या-1023/13 व क्रॉस अपील संख्या-1588/13/भीलवाड़ा.

प्रत्यर्थी के खरीद मूल्य में से कम करते हुए प्रत्यर्थी व्यवहारी के विक्रय मूल्य में शामिल करते हुए चाहा गया आई.टी.सी. अस्वीकार किये जाने में विधिक भूल की गयी है। विद्वान अभिभाषक ने उक्त तर्कों के समर्थन में कर बोर्ड की एकलपीठ के निर्णय (2012) 33 टैक्स अपडेट 199 मैसर्स हिंगड़ ट्रेडर्स उदयपुर बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-‘बी’ उदयपुर; माननीय केरला उच्च न्यायालय के प्रिया एजेन्सीज के न्यायिक दृष्टान्त (2008) 14 वी.एस.टी. 293 एवं माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय के मद्रास सीमेंट लिमिटेड के न्यायिक दृष्टान्त (2010) 35 वी.एस.टी. 14 का हवाला देते हुए राजस्व की अपील अस्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रकरण में उपलब्ध रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि व्यवहारी ने आलौच्य अवधि हेतु प्रस्तुत किये गये ट्रेडिंग एकाउण्ट में विक्रेता व्यवहारी से ट्रेड डिस्काउण्ट (क्रेडिट नोट) प्राप्त करना दर्शाया गया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ट्रेड डिस्काउण्ट राशि को विक्रय मूल्य में जोड़ते हुए, व्यवहारी द्वारा चाहा गया आई.टी.सी. अस्वीकार किया गया है। ट्रेड डिस्काउण्ट की राशि विक्रय मूल्य का भाग नहीं हो सकती। वेट अधिनियम की धारा 2(36) में ‘विक्रय मूल्य’ को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया है :-

**(36) “sale price”** means the amount paid or payable to a dealer as consideration for the sale of any goods less any sum allowed by way of any kind of discount or rebate according to the practice normally prevailing in the trade, but inclusive of any statutory levy or any sum charged for anything done by the dealer in respect of the goods or services rendered at the time of or before the delivery thereof, except the tax imposed under this Act;

**Explanation II.** – Cash or trade discount at the time of sale as evident from the invoice shall be excluded from the sale price but any *ex post facto* grant of discounts or incentives or rebates or rewards and the like shall not be excluded;

वेट अधिनियम की धारा 2(36) की उक्त विक्रय मूल्य की परिभाषा के अनुसार विक्रय इन्वायस जारी होने के बाद प्रदत्त ट्रेड डिस्काउण्ट्स को विक्रय मूल्य से कम नहीं किया जा सकता। अतः प्रत्यर्थी के सम्पूर्ण खरीद मूल्य पर विक्रेता द्वारा पूरा कर चुकाया जा चुका है तथा ट्रेड डिस्काउण्ट विक्रय मूल्य


लगातार.....4

—: 4 :- अपील संख्या-1023 / 13 व क्रॉस अपील संख्या-1588 / 13 / भीलवाड़ा.

का भाग नहीं है। ऐसी स्थिति में अपीलीय अधिकारी ने वेट अधिनियम के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी की अपील स्वीकार कर प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। कर बोर्ड की एकलपीठ के न्यायिक दृष्टान्त (2012) 33 टैक्स अपडेट 199 व 270 में भी यही मत प्रतिपादित किया गया है।

परिणामस्वरूप राजस्व द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा प्रत्याक्षेपक व्यवहारी के क्रॉस आब्जेक्शन स्वीकार किये जाकर अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.01.2013 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

  
( जे. आर. लोहिया )  
सदस्य  
26/02/17